

दिनांक 05 मार्च 2020,

सामूहिक समारोह को लेकर दिशानिर्देश

Z-21020/14/2020-PH

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 05 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राज्यों के सामूहिक समारोह को लेकर प्रश्न

यह संगठनों एवं सामूहिक समारोहों आदि में सामूहिक रूप से एकत्रित होने को लेकर राज्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बारे में है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह रेखांकित किया गया है:

- दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस बीमारी के प्रसार से बचने के लिए सामूहिक समारोहों को कम करने की सलाह दी है। उपरोक्त के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि बड़े पैमाने पर सभाओं/समारोहों को टाला जा सकता है या संभवतः तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि बीमारी फैलाव हो रहा है।
- यदि ऐसा कोई सामूहिक समारोह या सभा आयोजित की जाती है, तो राज्य आयोजकों को मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं ताकि पहले से प्रदत्त जोखिम संचार सामग्री के अनुसार सावधानी बरती जा सके, जिससे कोविड-19 सहित किसी भी गंभीर श्वसन रोग (सार्स) के मामलों और इन्फ्लुएंजा से बचाव सुनिश्चित हो जाए।

राज्य मामले के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

(राजेंद्र कुमार)

सचिव, भारत सरकार

फ़ोन नंबर- 23061778

प्रति:

समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निजी सचिव